

दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
21.10.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी को सुना गया वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादी के कब्जा काशत व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा, ग्राम साजीतडा, तह0 शिव में आया हुआ है। उपरोक्त सम्पूर्ण खेत पर वादी का ही काशत कब्जा व रहवासी ढाणी है एवं वादी व प्रतिवादी एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा सम्पूर्ण वादी नरसिंगाराम के हिस्से में रख दी है खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा ग्राम साजीतडा की सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में घोषित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1. हनुमानराम का नाम उक्त खसरा नम्बर में से हटाया जावे क्योंकि उक्त खसरा नम्बर का खेत वादी को आपसी सहमति बंटवाडा में दे दिया है तथा वादी व प्रतिवादी हनुमानराम को दूसरा खेत खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा ग्राम साजीतडा में से 63.5.07 बीघा भूमि बंट में आती है वह भूमि भाई बंट में हनुमानराम को दे दी है तथा खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा भूमि राउराम को दे दी है तथा शेष रकबा 8.14.13 बीघा भूमि जो राउराम के कम पडती है व भूमि खेत खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा में से दे दी है तथा इसी प्रकार नरसिंगाराम के हिस्से की भूमि रकबा 4.10.13 बीघा भूमि खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा में से बडे भाई हनुमानसिंह को दे दी है। खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.04 बीघा सम्पूर्ण भूमि वादी नरसिंगाराम के खातेदारी में घोषित किया जावे तथा हनुमानराम का नाम हटाया जावे। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर वादी की रहवासी ढाणी, टोंका, ट्यूब वेल बना हुआ है। उक्त भूमि पर वादी का 40 वर्षों से कब्जा काशत है तथा वादी अकेला ही उक्त भूमि पर अपनी पैदावार शान्तिपूर्वक लेता आ रहा है।</p> <p>वाद पंजीयन कर प्रतिवादी को सम्मन भेजे गये। प्रतिवादी स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा दावा के समर्थन में अपना शपथ पत्र पी.डब्लू-1, पी.डब्लू-2 का पेश किया तथा साथ ही दस्तावेज ई.एक्स.-1 ट्यूब वेल का विद्युत बिल, ई.एक्स.-2 वर्तमान जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव तथा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाद पत्र अनुसार दावा डिकी किया जावे।</p> <p>हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सूना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 425/153, 389/87, 395/103 को संयुक्त रूप से देखते हुए हस्तगत प्रकरण एक पारिवारिक बंटवाडे का ही है। खसरा नम्बर 389/87 में हनुमानराम, राऊराम, वीरमाराम का अंकन है। खसरा नम्बर 425/153 में हनुमान और नरसिंगा का अंकन है। खसरा नम्बर 395/103 में हनुमानराम, राऊराम, नरसिंगाराम का अंकन है तथा</p>	

सहायक कलेक्टर
(SPO) शिव

भूमि पर तीनों भाईयो के आपस मे खेतो की भी जमाबन्दीया व ट्युब वैल बिल, जिसमे यह साबित होता है कि तीनों भाईयो के अलग खेत व काश्त हेतु ट्युब वैल बने हुए है तथा इसी माफिक काबिज है। वाद मे सहमति होने से किसी प्रकार का विवाधक विरचित नही किये गये तथा न ही कोई विवाद है क्योकि प्रतिवादी ने सहमति प्रदान की है तथा पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नही है। मौके पर कब्जा काश्त होना तथा तीनों भाईयो के अलग अलग ट्युब वैल होना साबित है कि पक्षकारों के मध्य सहमति होना तथा आपसी सौहार्द बना रहे इसलिये तीनों भाईयो ने आपस में बैठ कर राजीनामा (सहमतिपूर्वक) अपनी भूमि का बंटवाडा कर लिया है कि आपस मे सहमति होना तथा सहमति अनुसार कब्जा होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य है। वादी नरसिंगाराम के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव की सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। क्यो कि प्रतिवादी हनुमानराम उर्फ हनुमानसिंह, को इसी ग्राम साजीतडा मे दुसरी जगह भूमि आपसी सहमति से दे दी है तथा पारिवारीक बंटवाडा होने से ट्रांसफर की श्रेणी में नही आता है।

लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी मे घोषित किया जाता है। रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

~~सहायक~~ डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह

वादी	बनाम	प्रतिवादी
नरसिंगाराम पुत्र गंगाराम, जाति-जाट, नि0 साजीतडा तह0 शिव		हनुमान उर्फ हनुमानसिंह पुत्र गंगाराम, जाति-जाट, नि0 साजीतडा तह0 शिव

मुकदमा नम्बर :-149 / 2019

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act


दिनांक:- 21.10.19

वादी की ओर से वकील श्री राउराम चौधरी एवं प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे आज दिनांक 21.10.2019 में को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने के आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 425/153 रकबा 54.00 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी मे घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.19 को सरे इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव
शिव

